मैनुअल संख्या–2

(2)–अधिकारियों/कर्मचारियों की षक्तियॉ और कर्तव्य

पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान अधीक्षक होता है, वह पुलिस की दक्षता तथा अनुषासन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन है पुलिस अधीक्षक को यह देखना चाहिये कि न्यायालय के या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेष का तुरन्त अनुपालन हो रहा है।

1–पुलिस अधीक्षक

सन्दर्भ पुस्तिका पुलिस रेगुलेशन

पुलिस बल तथा मजिस्ट्रेट के मध्य सभी सूचनाएं उन्हीं के माध्यम से भेजी जायेगी। पुलिस को जारी किये गये सभी आदेष तथा निर्देष पुलिस अधीक्षक के पास आयेंगें

1–न्यायालय से प्राप्त वारंटों की तामील

सभी मजिस्ट्रेटी न्यायालय जो कि जिला मुख्यालय पर स्थित नहीं है जब कभी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–386 (1) (क) के अध्याय टप्ए टप्प्ए ग तथा धारा 421 (1) (क) के अधीन समन बारण्ट या अन्य आदेषिकाये जारी करना, तो उप–खण्ड में तामील के लिए जिसमें कि न्यायालय स्थित हैं, जिले के सम्बन्धित थाने के भारसाधक के जरियें से न कि अधीक्षक के कार्यालय के माध्यम से उनको भेजा जायेगा। इस तहत की आदेषिकायें तामीली के उपरान्त जिले के सम्बन्धित न्यायालय को सीधे प्रेशित कर दी जायेगी न कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के माध्यम से।

2– प्राप्त होने वाले पत्रों का निस्तारणः–

जब कभी भी अधीक्षक मुख्यालय पर हों उन्हें सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। अपने कार्यालय के साधारण काम–धन्धों को उन्हें

कार्यालय में ही करना चाहिए, सिवाय उन गोपनीय मामलों के, जिनका निस्तारण वह अपने आवास पर करना उचित समझते हों।

3– जनता एवं जनप्रतिनिधियों से वार्ता करना–

उनके आवास पर पहुॅचने वाले जनवर्ग के सभी सदस्य जो उनसे मिलना चाहते हैं वह उनसे मिलगें। वह मिलने वालों को बुलाकर उनके विचारों से अवगत होने के लिये जनसाधारण को प्रोत्साहित करेंगे।

4– पुलिस पेशनर्स के साथ सम्पर्क/गोष्ठी –

जिले के सभी पुलिस पेन्षनरों से सम्पर्क बनाना तथा उनकी गोष्ठी आयोजित कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने में सहयोग प्रदान करना।

5– अधीनस्थ थाना/चौकी/लाइन/शाखाओं का निरीक्षण/भ्रमण–

पुलिस अधीक्षक को पुलिस थाना के निरीक्षण में दिये गये ज्ञापन के अनुसार वर्शानुवर्श एक राजपत्रित अधिकारी/राजपत्रित अधिकारियों द्वारा थाने का पूर्णरूपेण निरीक्षण करा लेना चाहिये और उन्हें स्वयं कम से कम वर्श में एक बार पूर्ण निरीक्षण करना चाहियें।

सर्दी के मौसम में दौरे को सीमित नहीं रखना चाहिए तथा जहां पर निरीक्षण गृह उपलब्ध हो वहां दूरस्थ स्थित थाने पर गर्मी तथा बरसात के मौसम परिभ्रमण करना चाहियें।

ज्ञापन के अनुसार, यदि सम्भव हो, पुलिस अधीक्षक को वर्श में एक बार, किन्तु कुछ मामलों में तीन वर्श में एक बार, स्वयं जिला मुख्यालय के प्रत्येक पुलिस थाने का निरीक्षण किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक को 1 जुलाई से सर्दी के मौसम के मध्य तक उप–महानिरीक्षक द्वारा उसके जिले के निरीक्षण के पहले अपनी रिजर्व पुलिस लाइन का वार्शिक निरीक्षण करते हैं।

6– आबकारी के सम्बन्ध में –

आबकारी के मामलों के वार्शिक सम्मेलनों पर पुलिस अधीक्षक की निजी उपस्थिति आवष्यक है।

7–सरकारी आदेष के मैनुअल में दिये गये निर्देषों के सम्बन्ध में–

सरकारी आदेष के मैनुअल में दिये गये निर्देषों का जिला अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन की तैयारी में जिले के प्रभारी को सौपनें की दषा में पुलिस के अधीक्षक द्वारा पालन किया जाना चाहिए ज्ञापन के लिए निर्धारित विशय में परिवर्तन पुलिस की आवष्कताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये।

8–हिन्दी आदेष पुस्तिका–

हिन्दी आदेष पुस्तिका निरीक्षक से निचले रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा नित्य लिखी जायेगी तथा अधीक्षक द्वारा या उनकी अनुपस्थित में मुख्यालय के भारसाधक अधिकारी द्वारा नित्य हस्ताक्षरित की जायेगी। मुख्यालय लौटने पर पुलिस अधीक्षक प्रविश्टियों का परीक्षण करेगें तथा अनुप्रमाणित करगें कि उनकी अनुपस्थिति में प्रविश्टियों की जा की जा चुकी हैं। इसके सम्पादन के 45 वर्श हो जाने तक ये पुस्तके रखी रहेगी, जिसमें कानस्टूबयूलरी की आन्तरिक अर्थ व्यवस्था से सम्बन्धित कार्यपालिक आदेष, जैसे नियुक्ति से सम्बन्धित आदेष, दण्ड स्थानान्तरण, छुट्टी, नियुक्ति तथा गारदों तथा अनुरक्षकों को परिदत्त अनुतोश आदि की प्रविश्टि की जायेगी।

मासिक अपराध गोष्ठी–

प्रत्येक माह जनपद में घटित होने वाले अपराधों की समीक्षा करने हेतु प्रत्येक माह अपराध गोष्ठी आयोजित की जाती है तथा अपराधों पर नियंत्रण एवं घटित अपराधों के सफल अनावरण हेतु सम्बन्धित थाना प्रभारियों को निर्देशित करना ।

मासिक सैनिक सम्मेलन–

प्रत्येक माह पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुनने हेतु मासिक सैनिक सम्मेलन आयोजित कर समस्याओं का त्वरित निस्तारण करना।

अन्य षक्तियां और कर्तव्यः–

1– जनपद में कानून एवं षान्ति व्यवस्था स्थापित कराना।

2— शासन/मुख्यालय स्तर से प्राप्त निर्देशों का क्रियान्वयन कराना।

3— जनपद में अपराधियों नियंत्रण तथा अपराध कम कराने का प्रयास करना।

4— अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।

5— प्राप्त अनुदान पर नियंत्रण रखना।

6— बाढ, सूखा, तथा अन्य दैवीय प्रकोप तथा सडक दुर्घटना आदि पर तथा अराजक तत्वों के शिकार होने से लोगों को बचना, मुस्तैदी से राहत तथा बचाव कार्य कराना।

7— अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी सुनिश्चित कराना।

8— विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न दायित्वों का पालन कराना।

9— त्रिस्तरीय पंचायतों/स्थानीय निकायों विधान सभा एवं लोक सभा निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना।

10— जनता के कमजोर वर्ग एवं पत्रकार वर्ग विशिष्ट नागरिकों की बैठक कर उनकी शिकायतों का निराकरण कराना ।

11— अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित कराना ।

12— जनपद के सभी थानाध्यक्षों की मीटिग लेकर उन्हें अपराध नियंत्रण कराना।

13— सभी शाखाओं व थानो का मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ववार्षिक, वार्षिक निरीक्षण करना।

2—पुलिस उपाधीक्षक

सन्दर्भ पुस्तिका
पुलिस रेगुलेशन

1— अधीक्षक के किसी भी उस कार्य को उसके सहायक या उपाधीक्षक कर सकेगें जिनका किया जाना विधि या नियमों द्वारा उन पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी नहीं है। जहां कहीं भी अन्तिम आदेष पारित करने के लिये वह सक्षम न हों वहां वह

पूछताछ और संस्तुति कर सकते हैं उन्हें भ्रमण पर जाना चाहियें और मुआयना करना चाहियें। आवष्यक जांच–पड़ताल की देख–भाल और निर्देष के लिए सेवाओं का उपयोग स्वतन्त्र रूप से किया जाना चाहियें । पुलिस रेगुलेषन के प्रस्तर 17 के अनुसार

<u>अन्य षक्तियां एवं कर्तव्य</u>

1– जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित कराना।

2– शासन/मुख्यालय स्तर से प्राप्त निर्देशों का क्रियान्वयन कराना।

3– जनपद में अपराधियों नियंत्रण तथा अपराध कम कराने का प्रयास करना।

4– अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।

5– बाढ, सूखा, तथा अन्य दैवीय प्रकोप तथा सडक दुर्घटना आदि पर तथा अराजक तत्वों के शिकार होने से लोगों को बचना, मुस्तैदी से राहत तथा बचाव कार्य कराना।

6– अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी सुनिश्चित कराना।

7– विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न दायित्वों का पालन कराना।

8– त्रिस्तरीय पंचायतों/स्थानीय निकायों विधान सभा एवं लोक सभा निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना।

9– जनता के कमजोर वर्ग एवं पत्रकार वर्ग विशिष्ट नागरिकों की बैठक कर उनकी शिकायतों का निराकरण कराना ।

10– अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण के दौरान सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित कराना ।

11– अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत थानाध्यक्षों की मीटिग लेकर उन्हें अपराध नियंत्रण/पर्यवेक्षण कराना।

12– सभी शाखाओं व थानो का मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, निरीक्षण करना।

3–रिजर्व इन्सपेक्टर तथा रिजर्व सब–इन्सपेक्टर

सन्दर्भ पुस्तिका
पुलिस रेगुलेशन

रिजर्व इन्सपेक्टर रिजर्व लाइन का भारसाधक अधिकारी होता है। उसे संख्या बतलाते हुए अपेक्षित रूप से रिजर्व के सभी गार्दो तथा अनुरक्षकों का निरीक्षण करना चाहिये तथा उसे यह देखना चाहिये कि मादशधारक अधिकारी अपने कर्तव्यों से पूर्णतया परिचित हो। विशेष कर्तव्यों के लिये जिले से बाहर भेजे जाने के बारे में वह किसी भी पुलिस पार्टी का परेड करायेगें तथा यह भी देखेगें कि वे उचित रूप से सुसज्जित हों तथा साथ ही साथ पर्याप्त रूप से साज–सज्जा रखते हों। वह यह देखेगें कि नियमित हाजिरी ली जाती है। उन्हें यह देखना चाहिये कि रोस्टर ड्यूटी का उचित रख–रखाव सभी अधिकारियों और सशस्त्र पुलिस के व्यक्तियों के लिए, और उन सिविल पुलिस के लिए जो रिजर्व लाइन में तैनात हैं, रखा

जाना चाहियें, तथा उन्हें उन सभी सिविल पुलिस के लिए जो कि रिजर्व लाइन में तैनात हैं, के समुचित वितरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होना चाहियें।

वस्त्रों, साज सामानों, आयुध, बारूद तथा रिजर्व में के स्टोर तथा कनातों इत्यादि की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए दायित्वाधीन होगा तथा उनमें रजिस्टरों के शुद्व रूप से रख–रखाव के लिए भी दायित्वाधीन होगा।

रंगरूटों के प्रशिक्षणों के लिए जिम्मेदार है तथा समस्त बल की कवायद परेड के अभ्यास एवं निर्देश हेतु दायित्वाधीन है।

वह कभी–कभी रात या दिन में रिजर्व लाइन से हेड क्वार्टर में तैनात सभी रक्षकों और संतरियों से भेंट हेतु परिदर्शन की पूर्व सूचना अधीक्षक को देते हुये भ्रमण(परिदर्शन) करेगा, लॉक–अप गार्ड और ट्रेजरी मैगजीन का परदिर्शन करेगा, तथा ऐसे सभी भ्रमण (परिदर्शन) की प्रविष्टि उक्त प्रयोजनार्थ विहित पुस्तिका में दर्ज करेगा।

<u>थाना प्रभारी</u>

सन्दर्भ पुस्तिका
पुलिस
रेगुलेशन

उप निरीक्षक थाने का भार साधक अधिकारी है। अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए वह पुलिस तथा प्रशासन का संचालन करता है, तथा बल के सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। कर्तव्यों के समुचित अनुपालन में दक्षता के लिए तथा उनके द्वारा तैयार किये गये सभी रजिस्टर, अभिलेखों के, विवरणियों और रिपोर्टो की शुद्वता के लिए अधीनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। वह पुलिस थाने में रखे गये सरकारी धन तथा मूल्यावान सम्पति की प्रतिभूमि की सुरक्षित अभिरक्षा तथा उनकी लेखा पुस्तिकाओं के सही रख रखव के लिए दायित्वाधीन है। नियन्त्रण तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए अपने कर्तव्यों के बारे में निर्देश देना चाहिये।

थाने की परिधि के भीतर या बिना स्थानीय सीमा के बुरे चरित्र के व्यक्तियों पर कठोर निगाह रखना तथा उन्हें अपराध कारित करने से रोके रखना ।

गोपनीय नोट बुक रखना जिसमें महत्वपूर्ण सूचना अभिलेखत करना ।

प्रत्येक दिन थाने के मालगृह, हवालात का निरीक्षण कर रेाजनामचा आम में अंकित करना, थाना क्षेत्र में घटित होने वाले हस्तक्षेपीय अपराधों की विवेचना करना ,संगीन घटना व दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों का सूचित करना, घटनास्थल पर शांति व्यवस्था व राहत कार्यो में अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर स्वंम मौजूद रहना, ग्राम अपराध रजिस्टर,त्यौहार रजिस्टरों में अद्यतन अंकन करना।

अधीनस्थ उप निरीक्षक

एक उप निरीक्षक पुलिस थाने का दूसरा अधिकारी है। उसके कर्तव्य निम्नवत् है–

सन्दर्भ पुस्तिका पुलिस रेगुलेशन

1– प्रातःकालीन परेड को समतेत करना

2– भार–साधक अधिकारी के निर्देश के अनुरूप अधीनस्थों को कर्तव्यों के लिए बतलाना, उन्हें निर्देश देना तथा यह देखना कि उनके द्वारा समुचित कर्तव्य का निर्वहन हो रहा है।

3– अधीनस्थ द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में दोष या लोप की स्थिति में भार साधक अधिकारी को रिपोर्ट देना।

4– भारसाधक अधिकारी द्वारा सौपें गये माललों का अन्वेषण करना तथा अपने अन्वेषण का परिणाम की रिपोर्ट देना।

हेड कान्स0

सन्दर्भ पुस्तिका पुलिस रेगुलेशन

हेड कान्स0 पुलिस स्टेशन का कार्यालय लिपिक, रिकार्ड कीपर और लेखपाल होता है। उसके कर्तव्य निम्नवत् हैः–

1– अपराधों की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जनरल डायरी लिखना

2– रोकड़ बही तथा अन्य लेखा पुस्तकों का रख–रखाव एवं सरकारी धन तथा पुलिस स्टेशन

पर रखे कीमती सामानों की समुचित सुरक्षा के लिए पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी सहित उत्तरदायी है।

3– अपराध के लम्बित रहने की अवस्था में नित्य प्रातः भारसाधक अधिकारी के संज्ञान में लगाना।

4– थाने पर नियुक्त समस्त कर्मचारियों की गणना लेना व उच्चस्तर से प्राप्त निर्देशों को पढकरसुनाना, डयूटी लगाना।

5– पुलिस गजटर और क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स गजट की अभिसूचनाओं और ऐसे अन्य कागजातों को जिन्हें भार साधक अधिकारी चुनें, जोर–जोर से पढ़कर कर्मचारियों को सुनाना।

6– जहां द्वितीय अधिकारी न हों तो सिवाय अन्वेषण के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्यों का भी पालन करना।

कान्स0

सन्दर्भ पुस्तिका पुलिस रेगलेशन

सिविल पुलिस के कान्स0 विशेष अवसरो के सिवाय सशस्त्र नहीं रहेगें। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम है। उन्हें जनता के प्रति जिनके वे सेवक हैं समस्याओं का नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए।

पुलिस थाने पर 24 घण्टे सन्तरी नियुक्त रहता है सन्तरी डयूटी महत्वपूर्ण डयूटी है इस डयूटी के दौरान अभिरक्षाधीन कैदियों, कोष तथा मालगृह एवं थाने की अन्य सम्पतियों की रक्षा करना ।

अपनी बीट के बारे में पूर्ण जानकारी रखना, बीट क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना, लाभप्रद सूचनाओं से अपने भार साधक अधिकारी को अवगत कराना।

रात्रि में गस्त के दौरान सड़क के किनारे पेड़ों टेलीफोन/विद्युत के खम्भों एवं तारों की सुरक्षा करना।

तामीलात हेतु प्राप्त सभी आदेशिकाओं की तामील करना । जांचाधिकारी द्वारा सौंपे जाने पर शवों के साथ जाकर पोस्टमार्टम कराना एवं लावारिश शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद धर्मानुसार अंतिम संस्कार की कार्यवाही करना ।

चतुर्थ श्रेणी–

इस श्रेणी के अन्तर्गत कुक, कहार, अर्दली प्यून, दप्तरी, सफाई नायक आदि आते हैं जिनके द्वारा अधिकारियों/ कर्मचारियों के भोजन/ सफाई/ डाक का आदान–प्रदान का कार्य किया जाता है।